न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 14 / 2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोतीलाल पुत्र सोनाजी जाति घांची निवासी जाखडी तहसील रानीवाडा जिला–जालोर		1. जवानाराम पुत्र सोनाजी जाति घांची निवासी जाखडी तहसील रानीवाडा 2. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

दावा बाबत बंटवाड़ा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादीगण अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवड़ा।
2. प्रतिवादी संख्या 1 श्री पूखराज विश्नोई।
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक 22.08.2022

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिनके तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि मौजा जाखड़ी तहसील रानीवाडा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त व सामलाती खातेदारी की आराजी खाता संख्या 573 खसरा नबंर 1468 रकबा 3.29 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नबंर 905 रकबा 2.20 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम जुमले रकबा 5.49 हैक्टर की आई हुई है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में जवानाराम पुत्र सोना हिस्सा 1/2, मोतीलाल पुत्र सोना हिस्सा 1/2 जाति घांची साकिन देह खातेदार व खातेदारी आराजी खाता संख्या 152 खसरा नबंर 904 रकबा 1.58 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम की आई हुई है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में जवानाराम पुत्र सोना हिस्सा 1/2, मोतीलाल पुत्र सोना हिस्सा 1/2 जाति घांची साकिन देह खातेदार दर्ज है।

   उक्त वर्णित आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से माफिक काबिज काश्त है। उक्त आराजीयान का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच विधिवत बंटवाडा नही हुआ है। उक्त आराजी का पूर्व से ही वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच मौके पर बंटवाडा हो चुका है तथा उसी माफिक मौके पर काबिज काश्त है।

   वाद में विनायवाद सर्वप्रथम उस [illegible] पैदा हुआ जब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार आपसी सहमति से [illegible] काश्त अनुसार तथा पूर्व में हुये बंटवाडा अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा [illegible] का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने में टालमटोल की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:53 IST
Reason: SelfAttested

तत्पश्चात उस पैदा हुआ जब आजस से दस दिन पुर्व दिनांक 22.06.2020 को पुनः वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजी का आपसी सहमति से मौके पर कब्जे काश्त अनुसार तथा पुर्व में हुये बंटवाडा अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने का मना कर दिया तथा वादी को एलानियां धमकी दी कि हम आपसी सहमति से बंटवाडा नहीं करवायेगे तथा आपने ज्यादा किया तो मै तुम्हें तुम्हारे कब्जे काश्त की आराजी से लाठी के बल पर बैदखल कर दुंगा तत्पश्चात वाद कारण निरन्तर जारी है।

वादी इस्तदुआ वादी है कि इस आश्य की डिक्री बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावे कि मौजा जाखडी तहसील रानीवाडा में स्थित आराजी खाता संख्या 573 खसरा नबंर 1468 रकबा 3.29 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नबंर 905 रकबा 2.20 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम जुमले रकबा 5.49 हैक्टर व खातेदारी आराजी खाता संख्या 152 खसरा नबंर 904 रकबा 1.58 हैक्टर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच मौके पर कब्जे काश्त व मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा कर वादी को 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा बंटवाडा कर अलग–अलग बंट में दिया जावे तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद व लगान के निर्धारण हेतु तहसीलदार रानीवाडा पर तहरीर जारी की जावे। तथा इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण बाद बंटवाडा वादी के बंट व हिस्से की आराजी में उसके कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में न तो स्वयं कोई दखल करे तथा न ही किसी अन्य से कोई दखल पैदा करावे।

2. वादी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 बाद तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथा दिनांक 15.10.2020 को वादी अधिवक्ता के निवेदन पर वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 2 राजपेरोकार की बहस सुनकर विवादीत आराजी मौजा जाखडी के खसरा नम्बर 1468 रकबा 3.29 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 904 रकबा 1.58 व खसरा नम्बर 905 रकबा 2.20 हैक्टेयर जूमले रकबा 7.07 हैक्टेयर आराजी में रास्ते की सुविधानुसार हक–हिस्से व कब्जा–काश्त को ध्यान में रखतें हूए मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा प्रस्ताव मंगवाया गया।
3. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दिनांक 19.01.2021 को जरिये अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत एक तरफा कार्यवाही को अपास्त कर जवाबदावा पेशकर सुनवाई का अवसर दिलवाने का पेश किया। जो बाद सुनवाई दिनांक 25.03.2021 को प्राकृतिक न्याय सिद्वांत के अनुसार न्यायहित में स्वीकार किया गया ।
4. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादपत्र का पद संख्या 1 सही होने से स्वीकार है। मौजा जाखडी की सामलाती कृषि भुमि खसरा नबंर 1468 रकबा 3.29 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नबंर 905 रकबा 2.20 हैक्टेयर बारानी प्रथम कुल रकबा 5.49 हैक्टेयर में वादी 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार वादी खातेदार मौजा जाखडी के खेत खसरा नबंर 904 रकबा 1.58 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में भी वादी 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:53 IST
Reason: SelfAttested

जवाबदावा एवं प्रतिदावा इस प्रकार है माफिक राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारी 1/2 – 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर–बराबर पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दर्ज परन्तु मौके पर अलग कृषि भुमि के 1/2 हिस्सो पर प्रतिवादी संख्या 1 का चला आ रहा है। वादी के वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 से मौखिक बंटवाडा होने के कथन स्वीकृत अभिवचन के रूप में दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में विभाजन नहीं हुआ है। इसके लिए मौके पर कब्जा काश्त एवं भुमि के उपयोग उपभोग की सुविधा के साथ –साथ खेतों में आवागमन की सुविधा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस सिद्वान्त से कृषि भुमि का विभाजन प्रतिदावा से किया जाना न्याय संगत है। व मौजा जाखडी के खातेदारी सामलाती कृषि भुमि के 1/2 – 1/2 हिस्से के अलग–अलग कब्जा काश्त होने से कोई विनायवाद वादी के हक में पैदा नहीं होता है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 1/2 – 1/2 हिस्से के बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त से कृषि भुमि के उपयोग उपभोग रास्ते के सुखाधिकार के साथ बंटवाडा करवाने का निवेदन करने पर दिनांक 070.8.2020 को प्रतिवाद कारण पैदा हुआ, इसके बाद वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के साथ गाली गलोच कर मां के दागिने धोखे से छलकपट पुर्वक आशय से चुराकर ले जाने पर प्रतिदावा का विवाद कारण उत्पन्न हुआ तथा दिनांक 21.12.2020 को श्रीमान एस.डी.एम. कोर्ट रानीवाडा में फर्जी एवं मिथ्या कथनों के आधार पर इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107, 116(3) सीआरपीसी प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसके मुम्बई प्रवास करने वाले पुत्र का फर्जी व गलत नाम लिख कर झुठी धटना कायम कर रिपोर्ट पुलिस थाना रानीवाडा में प्रस्तुत करवाने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ जो लगातार प्रतिदावा हेतु बदस्तुर आज दिन तक जारी है। इसलिए प्रतिदावा बाबत् विभाजन करने खातेदारी सामलाती कृषि भुमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

5. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिदावा में अनुतोष चाहा गया है कि वादी के बंट का 1/2 हिस्सा बैक ऑफ इंडिया शाखा जाखडी में रहिन रखा होने से उक्त वादी का 1/2 हिस्से के विभाजन करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र में बैक ऑफ इंडिया जाखडी को वादपत्र में आवश्यक पक्षकार के रूप में नाम वादपत्र में अंतिम निस्तारण हेतु बनाया जाने का आज्ञापक प्रावधान है इसके अभाव में वादी के पक्षकारान के कुसंयोजन के कारण वादपत्र काबिल खारिज है। क्योकि वादी का खातेदारी अधिकार रहन रखा होने से 1/2 हिस्से के स्वामित्व रहननामा पंजीकृत हो जाने से वादी से बैक ऑफ इंडिया जाखडी को हस्तान्तरित हो चुके है। इसके अभाव में दावा खारिज किया जाना न्याय संगत है। तथा प्रतिदावा स्वीकार कर विभाजन की डिक्री की पालनार्थ तहसीलदार भुमिधारी रानीवाडा को तहरीर जारी कर प्रतिवादी संख्या 1 नाम खाते अलग–अलग कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जावें तथा नक्शा ट्रेस में भी 1/2 हिस्सा वादी से अलग कर प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा शुदा हिस्सा अलग तरमीम किया जावें।

साथ ही मौजा जाखडी के खेतों में स्थित 1/2–1/2 हिस्से की कृषि भुमि अलग–अलग की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त एवं रास्ते के आवागमन के सुखाधिकार की सुविधा अनुसार भुमि के उपयोग उपभोग काश्त करने में वादी स्वयं एवं अन्य भाई के माध्यम से जबरन बेदखल नही करे वादी स्वयं दखलन्दाजी नहीं करे अपरिचित क्रेताओ को वादी प्रतिवादी संख्या 1 की कृषि भुमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:53 IST
Reason: SelfAttested

का अवैध बैचान नही करे, नामान्तरकरण फर्जीवाडा कर दर्ज नहीं करावें। कोई पक्का व स्थाई निर्माण कर मौके की यथास्थिति में भौतिक रूप से कोई बदलाव प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति बिना वादी नहीं करे। प्रतिवादी संख्या 1 की पुर्व अनुमति बिना वादी प्रतिवादी संख्या 1 के बंटवाडा शुदा खेत के 1/2 हिस्से की माठ ना तोडे, खेत में अवैध प्रवेश नही करे ना ही कब्जा काश्त में कोई जबरन बाधा उत्पन्न करें। मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 के उपयोग में आने वाली विधुत कृषि कनेक्शन व कुए का दुरूपयोग कर स्वयं वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से हडफ नहीं करे, मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति विभाजन के बाद 1/2–1/2 अलग खातेदारी रकबा हिस्सा जाने के बाद बनाये रखे इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जरिये प्रतिदावा बहक प्रतिवादी संख्या 1 बरखिलाफ वादी एवं तहसीलदार भुमिधारी रानीवाडा सादिर फरमावें।

6. वादी ने अपने वादपत्र के साथ साक्ष्य सबूत में दस्तावेज प्रस्तुत किये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई साक्ष्य सबूत में दस्तावेज पेश नहीं किये गए। शपथ पत्र पेश नहीं किया गया।

7. वादी की ओर से प्रस्तुत वाद व प्रतिवादी जवाब एवं प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर एक्सप्लेन की गयी।

8. वादी की ओर से वादी मोतीलाल पुत्र सोनाजी कौम घांची निवासी जाखडी का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें वादपत्र के तथ्यों को मुख्य परीक्षा में दोहराया गया व दावे के समर्थन में मौजा जाखडी के खाता संख्या 573 की जमाबंदी प्रदर्श 1 , खाता संख्या 152 की जमाबंदी प्रदर्श 2, खसरा संख्या 904 का नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3, खसरा संख्या 1468 का नक्शा ट्रेस प्रदर्श 4 व गिरदारी खाता संख्या 152 की प्रदर्श 5 व खाता संख्या 573 की गिरदावरी प्रदर्श 6 दस्तावेज प्रस्तुत किये तथा प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया कि हमारी जमीन के खसरा नम्बर 1468 का कब्जा मेरे पास है व खसरा नम्बर 904, 905 का मेरे भाई जवाना के पास है। मेरा रहवासी घर अलग खसरे की जमीन पर बना हुआ है, उक्त विवादीत खसरे में बना हुआ नहीं है। हमारे पहले प्रेम व स्नेह होने से खेती साथ में था अजखूद कहा खेती ही थी व्यापार नही। यह कहना गलत है कि हमारे माता पिता के सोने चांदी के दागिने थे उन्हे मेरे भाई से झूठ बोलकर ले गया हो। यह कहना गलत है कि जाखडी आबादी क्षेत्र पूश्तैनी सामलाती रहवासी ढाणी के फर्जी पट्टा अपने अकेले के नाम से बना दिया हो और जवानाराम को हिस्सा नही दिया हो। दिनांक 15.06.1976 से बोम्बे में पहले में नौकरी करता था अब मे व्यापार करता हू। यह कहना गलत है कि मेरा भाई जवानाराम खेती में कमाकर मुझे पैसा देता था। और मै व्यापार करता था। यह कहना गलत है कि मैने बोम्बे में जो प्रोपटी खरीदी है वो मेरा भाई जवानाराम ने पैसे दिये हो। यह कहना गलत है कि मेरा भतीज दिनेश कूमार मेरे यहां नोकरी करता हो ओर मेरे में कोई रूपया सैलेरी बाबत बाकी हो। यह कहना गलत है कि भाई व भतीज द्वारा उक्त बकाया पगार की राशि मांगने से आहत होकर मैने यह दावा पेश किया है।

9. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी जवानाराम पुत्र सोनाजी का साक्ष्य शपथ पत्र पेश जिसमें जवाबदावा मय प्रतिदावा के तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रतिपरीक्षण में बताया कि मै पढा लिखा नहीं हू। इस शपथ पत्र में क्या लिखा है मुझे पता नही । इस जमीन में मेरा 3 बीघा हिस्सा आता है। हम दोनो भाई अलग–अलग हुए करीब 35 वर्ष हो चूके है। प्रतिवादी जवानाराम द्वा[illegible] देकर हस्ताक्षर नहीं किये गए।

प्रतिवादी की ओर [illegible] व हंसाराम पुत्र भूराजी के बयान भी करवाये गए। हंसाराम पुत्र भूराजी [illegible] बयान में बताया कि मे मोती व जवाना दोनो को पहचानता हू क्योंकि वे मेरे कुटुम्बी भाई लगते है। लगभग 50–55 बीघा जमीन दोनों भाईयों के हिस्से आयी हुई [illegible] दोनो भाईयों के अलग–अलग बेरे बने हूए है। मोती के 1/2 हिस्सा व जवाना के 1/2 हिस्सा जमीन आती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:53 IST
Reason: SelfAttested

सांकलाराम पुत्र अचलाजी द्वारा प्रतिपरीक्षण में बताया कि मेरे से जमीन खरीदी जवानाराम व मोतीराम 35 वर्ष पहले उसके खसरा नम्बर व रकबा कितना है मुझे पता नहीं है। यह कहना सही है कि मोती व जवाना दोनो भाईयों के 3.53 – 3.53 हैक्टेयर बंटवारा अनुसार जमीन आ रही है।

10. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेज, साक्ष्य शपथ पत्र व बयानों का भली– भांती अध्ययन किया गया। बहस तथ्यों पर मनन किया गया। मौजा जाखडी जमाबंदी प्रदर्श 1 में खाता संख्या 573 में खसरा नम्बर 1468, 905 रकबा क्रमश 3.29, 2.20 हैक्टेयर व प्रदर्श 2 में खसरा नम्बर 904 रकबा 1.58 हैक्टेयर में खातेदार जवानाराम पुत्र सोनाराम हिस्सा 1/2 व मोतीलाल पुत्र सोना हिस्सा 1/2 जाति घांची सा. देह खातेदार दर्ज है। तथा वादी द्वारा वादपत्र व साक्ष्य में उक्त आराजी में खसरा नम्बर 904 व 905 में प्रतिवादी जवानाराम का कब्जा बताते हुए वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच मौके पर कब्जे काश्त व मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा कर अलग–अलग बंट में दिया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्व जारी किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा मय प्रतिदावा व साक्ष्य में उक्त विवादीत आराजी का मौके पर कब्जा काश्त एवं भुमि के उपयोग उपभोग की सुविधा के साथ – साथ खेतों में आवागमन की सुविधा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस सिद्वान्त से वादी को 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा कृषि भुमि का विभाजन कर दिये जाने व वादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवदेन किया गया है।

11. उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर उक्त विवादीत मौजा जाखडी के खाता संख्या 573 में खसरा नम्बर 1468, 905 रकबा क्रमश 3.29, 2.20 हैक्टेयर व खाता संख्या 152 में खसरा नम्बर 904 रकबा 1.58 हैक्टेयर में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच मौके पर हक–हिस्से कब्जे काश्त को घ्यान में रखते हुए मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के प्रावधान नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवाडा प्रस्ताव मंगवाया जाना न्यायोचित है।

12. हस्तगत प्रकरण में उक्तानुसार प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के आदेश दिनांक 15.10.2020 के अनुसार तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पत्रांक/राजस्व/2021/26 दिनांक 21.01.2021 से पूर्व में प्राप्त हो चूकी है। जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं की गई। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से पूर्व में प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	जवानाराम पुत्र सोना	904	1.58	1.58	बा .प्र.	नारंगी	6.32

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:53 IST
Reason: SelfAttested

	जाति घांची सा0 देह	905	2.20	1.9550	बा. प्र.		7.82
	कुल	**2**	—	**3.5350**	—	—	**14.14**
2.	मोतीलाल पुत्र सोना जाति घांची सा0 देह खातेदार **रहन** — बैक ऑफ इंडिया शाखा जाखड़ी	905	2.20	0.2450	बा. प्र.	हरा	0.98
		1468	3.29	3.29	बा. प्र.		13.16
	कुल	**2**	—	**3.5350**	—	—	14.14

13. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 22.08.2022 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:53 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादीगण
मोतीलाल पुत्र सोनाजी जाति घांची निवासी जाखडी तहसील रानीवाडा जिला–जालोर	बनाम	1. जवानाराम पुत्र सोनाजी जाति घांची निवासी जाखडी तहसील रानीवाडा 2. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 14 / 2020

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री श्रवणसिंह देवड़ा उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पूखराज विश्नोई व प्रतिवादी संख्या 2 राजपेरोकार उपस्थित, मनजानिब मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	जवानाराम पुत्र सोना जाति घांची सा0 देह	904	1.58	1.58	बा .प्र.	नारंगी	6.32
		905	2.20	1.9550	बा. प्र.		7.82
	कुल	2	–	3.5350	–	–	14.14
2.	मोतीलाल पुत्र सोना जाति घांची सा0 देह खातेदार रहन – बैक ऑफ इंडिया शाखा जाखड़ी	905	2.20	0.2450	बा. प्र.	हरा	0.98
		1468	3.29	3.29	बा. प्र.		13.16
	कुल	2	–	3.5350	–	–	14.14

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमो नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के स[illegible]क दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावे [illegible] आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन [illegible] उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:53 IST
Reason: SelfAttested

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 22.08.2022 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	**मौजाना**	0	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:53 IST
Reason: SelfAttested